वन और समुदाय:
अधिकार, संरक्षण और क़ानून।

श्रेय

वन और समुदाय: अधिकार, संरक्षण और क़ानून

यह ट्रेनिंग मटेरियल जंगल और उनसे जुड़े हमारे अधिकारों के बारे में है। इसमें बताया गया है कि जंगल किसे कहा जाता है, किस तरह के जंगल होते हैं (आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, अभयारण्य, टाइगर रिज़र्व आदि), और वहाँ रहने-सहने वाले लोगों के क्या हक़ बनते हैं। इसमें वन कानून, वन्यजीव संरक्षण और वन अधिकार अधिनियम की जानकारी है – जैसे ज़मीन, चारा, लकड़ी, पानी, रोज़गार और पनर्वास से जुड़े अधिकार। साथ ही यह भी समझाया गया है कि ग्राम सभा और समुदाय मिलकर कैसे जंगल की देखभाल और संरक्षण में भागीदार बन सकते हैं।

चित्रण, डिजाइन और लेआउट

कवी गंगर

अनुसंधान और संकलन

काव्य चिंता, संजना श्रीकुमार, हम्ज़ा तारिक़, कवी गंगर

अगस्त 2025 में नई दिल्ली में पार्ट 3 फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित

© पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर, पार्ट 3 फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है। यह पुस्तिका पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर की संपत्ति है। इसका कोई भी हिस्सा किसी भी व्यावसायिक हितों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से साझा, पढ़ा, इस्तेमाल और काम किया जा सकता है - अपने प्रयास में यदि आप हमें आभार व्यक्त करें तो हमें अच्छा लगेगा।

यह पुस्तिका पार्ट III टीम का एक सामूहिक प्रयास है। इस पुस्तिका पर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा।

आप सभी पत्राचार को निम्न पते पर भेज सकते हैं:

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर
दिल्ली: पी-60, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-पी, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली - 110019

ईमेल: contact@part-three.org

विषय सूची

	पृष्ठ
वनों के प्रकार (स्रोत: भारतीय वन अधिनियम, 1927)	1-7
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत मना किए गए काम	8-9
संरक्षण रिज़र्व और समुदाय रिज़र्व	10-11
वन अधिकार अधिनियम, 2006 में दिए गए हक़	12-18
टाइगर रिजर्व	19-25
अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व में बदलने की जांच सूची (Checklist)	26-28

वनों के प्रकार

(स्रोत: भारतीय वन अधिनियम, 1927)

जंगल किसे कहा जाता है और जंगल की परिभाषा समय के साथ कैसे बदली?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार जंगल उसे माना जाता है जहा ढेर सारे पेड़-पौधे और पशु-पक्षी मौजूद है और इस जगह को सुरक्षा की ज़रुरत है। लेकिन, जंगलों की ज़मीन पर कई बार विवाद रहा है – कभी वे निजी मालिकाना हक़ में थे, कभी गाँव-समाज की ज़मीन कहलाते थे। अलग-अलग राज्यों में इनके लिए देसी शब्द चलते थे, जैसे मध्य प्रदेश में – निसरार, बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल आदि।

1996 में सुप्रीम कोर्ट ने त न गोदावर्मन व्/स यूनियन ऑफ़ इंडिया केस) ने साफ़ साफ़ बताया की वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत हर वो ज़मीन जंगल है जो शब्दकोश के साथ-साथ सरकारी दस्तावेज में भी मौजूद है। हर राज्य में कमिटी बनायीं गयी - जिसका काम ऐसी जगह (जंगल) को पहचानना था।

साल 2023 में वन (संरक्षण), 1927 कानून में बदलाव किया गया। इस बदलाव का मकसद यह साफ़ करना था कि "वन भूमि" का मतलब सिर्फ 1927 के भारतीय वन अधिनियम या दूसरे कानूनों में लिखे गए जंगल ही नहीं हैं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में "वन" लिखी हुई सारी ज़मीन भी इसमें शामिल होगी। इसमें राजस्व विभाग, वन विभाग या किसी और सरकारी अधिकारी के रिकॉर्ड में दर्ज जमीनें भी आती हैं।

राज्यों को कहा गया है कि वे अपने यहाँ जितनी भी ऐसी वन भूमि है, उसकी एक संयुक्त सूची बनाएँ। इसके लिए एक साल का समय दिया गया है। यह सूची वन (संरक्षण और संवर्धन) नियम, 2023 के तहत तैयार होगी।

जंगल के प्रकार

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के हिसाब से जंगलों को अलग-अलग श्रेणी में बाँटा गया है –

1. आरक्षित वन

ये वो जंगल हैं जिन्हें सरकार ने पूरी तरह से अपनी देखरेख में रखा है। इन जंगलों में पेड़-पौधे, जानवर और प्राकृतिक माहौल की सख़्त सुरक्षा होती है। यहाँ इंसानी गतिविधियाँ (जैसे खेती, लकड़ी काटना, चराई) लगभग पूरी तरह से बंद होती हैं। बस वही अधिकार माने जाते हैं जो उस जगह को जंगल घोषित करने के पहले लिखित में दर्ज किये गए थे।

2. संरक्षित वन

ये ऐसे जंगलों है जिन्हे सरकार चिअपनी देखरेख में रखती है लेकिन इनमें थोड़ी ढील होती है। यहाँ ज़्यादातर काम करने की इजाज़त होती है, बस उन चीज़ों पर रोक होती है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षक अधिनियम, 1927 घोषित की गयी है। सरकार चाहें तो किसी खास पेड़ या पेड़ों की किस्म को "आरक्षित" घोषित कर सकती है और फिर उनके इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है।

3. ग्राम वन

जब सरकार किसी गाँव की पंचायत या समुदाय को जंगल चलाने का अधिकार दे देती है, तो उसे ग्राम जंगल कहते हैं। इसका मतलब है कि गाँव के लोग मिलकर उसका प्रबंधन करेंगे – जैसे लकड़ी का इस्तेमाल, चराई या छोटे-मोटे वन उत्पाद। लेकिन ये अधिकार सरकार वापस भी ले सकती है।

4. अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

आरक्षित जंगल और समुद्री इलाक़ों के अलावा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी जगह को अभयारण्य घोषित कर सकती है – अगर वहाँ पर्यावरण, जानवर, पौधे, भूगोल या प्राकृतिक विविधता के लिहाज़ से ख़ास महत्व हो। इसका मक़सद होता है जंगल और वन्यजीवों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनके घर (आवास) को सुरक्षित रखना। इसी अभयारण्य के अंदर या अलग से भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, धारा 18, 35, 38]

सरकार से अधिकार और हक़्क़ मांगने की प्रक्रिया

1. आरक्षित वन

जंगल पर स्थानीय लोगों के हक़ को सरकार मानती भी है और कई बार नकारती भी है। जब कोई इलाका "आरक्षित वन" घोषित किया जाता है, तो उस समय लोगों को अपने पुराने हक़ (जैसे लकड़ी लेना, चारा लेना, ज़मीन पर खेती करना आदि) का दावा करना पड़ता है। यह दावा वन सेटलमेंट अफ़सर के पास जाता है। अगर दावा सही माना गया, तो या तो वह ज़मीन आरक्षित वन की सीमा से बाहर कर दी जाती है, या फिर वह पर रहने वाले लोगों को उस ज़मीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है।

अगर दावा ख़ारिज हो गया, तो लोगों का हक़ वहीं ख़त्म हो जाता है। कुछ मामलों में, राज्य सरकार सेटलमेंट अफ़सर से सलाह लेकर लोगों के लिए दूसरी ज़मीन या **पुनर्वास** (rehabilitation) **का इंतज़ाम कर सकती है**।

2. संरक्षित वन

इस इलाके में अगर किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन या हक़ हैं, तो उनकी जाँच की जाती है और लिखित में दस्तावेज **किया जाता है**।

3. ग्राम वन

भारतीय वन अधिनियम में यह साफ़ साफ़ लिखा है कि राज्य सरकार किसी आरक्षित वन के भीतर किसी भी गाँव का प्रशासनिक हक़ (शासन का अधिकार) किसी बी गाँव-समुदाय को सौंप सकती है। ये अधिकार राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है और चाहे तो वापस भी ले सकती है।

वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 में निपटान (settlement) का हक़ और वन ग्रामों को राजस्व ग्राम (revenue village) में बदलने का अधिकार दिया गया है।

4. अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव संरक्षण कानून के अनुसार, जब किसी इलाके को अभयारण्य बनाया जाता है, तो कलेक्टर यह देखते हैं कि उस ज़मीन पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई हक़ या अधिकार तो नहीं है।

अगर कोई अपना हक़ बताता है, तो कलेक्टर उस पर विचार करते हैं — हक़ सही पाया गया तो वह ज़मीन अभयारण्य में शामिल नहीं की जाती, या फिर उस हक़ को जारी रखने या मुआवज़ा देने का फैसला किया जाता है।

यह सारे फ़ैसले मुख्य वन्यजीव संरक्षक से सलाह लेकर किए जाते हैं।[वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, धारा 18, 35, 38]

पशु पलना और उनको जंगल में चराने का अधिकार

1. आरक्षित वन

घरेलू जानवरों (जैसे गाय-भैंस, बकरी आदि) को ऐसे जंगल में चराने या उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ले जाना मना है। लेकिन अगर पहले से लिखित रूप में दावा दर्ज है, या फिर वन अधिकारी से अनुमति मिल गई है, तो छूट दी जा सकती है।

(धारा 26, धारा 15)

2. संरक्षित वन

इन जंगल में घरेलू जानवरों (जैसे गाय-भैंस, बकरी आदि) को जंगल में चराने जैसी गतिविधियों को राज्य सरकार नियमित तौर में अनुमति देती है ताकि नियंत्रण बना रहा।

3. ग्राम वन

पशुधन (जानवरों) के प्रवेश को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है।

4. अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

जानवरों या पशुधन को चराने के लिए अंदर ले जाने की इजाज़त मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wild Life Warden) से लेनी पड़ती है।

कानून में अधिकारियो को दिए गए हक़

1. आरक्षित वन

राज्य सरकार किसी भी सरकारी ज़मीन को "आरक्षित वन" घोषित कर सकती है। कुछ राज्यों ने अपने-अपने क़ानून में बदलाव करके (जैसे मध्य प्रदेश ने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके, या उड़ीसा ने उड़ीसा फारेस्ट एक्ट, 1972 के ज़रिए) एक और नई श्रेणी बनाई है जिसे "माना हुआ आरक्षित वन (Deemed Reserve Forest)" कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कानून के तहत कुछ ज़मीनों को सीधे "जंगल" मान लिया जाता है, चाहे वे पहले से दर्ज हों या न हों।

2. संरक्षित वन

राज्य सरकार किसी भी ऐसे वन क्षेत्र को, जो सरकार की संपत्ति है, संरक्षित घोषित कर सकती है। (धारा 29)

3. ग्राम वन

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत, राज्य सरकार किसी भी गाँव या समुदाय को सरकार के अधिकार में दे सकती है।

4. अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

राज्य या केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या सैंक्चुअरी घोषित कर सकती है। (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, धारा 18, 35, 38)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत मना किए गए काम

धारा	प्रावधान
धारा 9	यह धारा शेड्यूल I, II, III और IV में बताए गए किसी भी जंगली जानवर का शिकार मना करती है, सिवाय कुछ खास हालात में, जैसे आत्मरक्षा या जब कुछ जानवर इंसानों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हों।
धारा 11	कुछ हालात जिनमें जंगली जानवर का शिकार किया जा सकता है – (a) अगर जानवर इंसानी जीवन के लिए खतरा है या घायल/मर चुका है और ठीक नहीं हो सकता, तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक शिकार की अनुमति दे सकता है। (b) आत्मरक्षा के लिए।
धारा 27 & 28	बिना मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति के प्रवेश मना है। सैंक्चुअरी की सीमा चिन्ह को नुकसान पहुँचाना मना है। सैंक्चुअरी के अंदर किसी भी जंगली जानवर को परेशान करना या कचरा फैलाना मना है।
धारा 51	इस धारा में अलग-अलग जुर्मानों के बारे में बताया गया है, जो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित इलाकों में मना की गई गतिविधियों के लिए लगाए जा सकते हैं।

धारा 28	मुख्य वन्यजीव संरक्षक फोटोग्राफी या पर्यटन जैसी गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं और कुछ नियम या फीस लगा सकते हैं।
धारा 30	सैंक्चुअरी में आग लगाना मना है क्योंकि आग से वहा के पशु-पक्षी को खतरा हो सकता है।
धारा 31	हथियार लेकर सैंक्चुअरी में प्रवेश के लिए मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति जरूरी है।
धारा 32	जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा करने वाले रसायन, विस्फोटक या अन्य पदार्थों का सैंक्चुअरी के अंदर उपयोग पर रोक है।
धारा 33	सैंक्चुअरी का नियंत्रण
धारा 33 -ए	किसी भी पालतू जानवर को टीका लगाए बिना सैंक्चुअरी के अंदर चराना मना है।
धारा 34	हथियार रखने वालों का रजिस्ट्रेशन
धारा 39	बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी विशेष जंगली जानवर या उसके उत्पाद रखना, खरीदना या बेचना मना है।
धारा 44	बिना लाइसेंस के जंगली जानवर या उनके पदार्थ बेचना मना है।
धारा 49	बिना लाइसेंस के कुछ खास जंगली जानवरों से बनी ट्रॉफी या जानवरों की चीज़ें अपने पास रखना, बेचना या देना मना है।

संरक्षण रिज़र्व और समुदाय रिज़र्व

इन जंगलों की देखभाल अक्सर यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय करते हैं। इसमें वे सामुदायिक जंगल भी शामिल हैं, जिन्हें आदिवासी लोग कई पीढ़ियों से सँभालते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में संरक्षण रिज़र्व उन जंगलों और निस्तार ज़मीनों तक फैले हैं, जहाँ आदिवासी समुदायों के पुराने पारंपरिक अधिकार हैं।

	संरक्षण रिज़र्व	समुदाय रिज़र्व
परिभाषा	धारा 36(ए) और 36(बी); वन्यजीव संरक्षण क़ानून, 1972 के अंतर्गत – संरक्षण रिज़र्व उस क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ राज्य सरकार स्थानीय लोगों से सलाह करके, नेशनल पार्क या सैंक्चुरी के पास के इलाकों को या ऐसी ज़मीन को, जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ती है, संरक्षण रिज़र्व घोषित करती है।	धारा 36(सी) और 36(डी); वन्यजीव संरक्षण क़ानून, 1972 के अंतर्गत – कम्युनिटी रिज़र्व उस क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति या पूरा समुदाय खुद आगे आकर पेड़ - पौधे, पशु - पक्षी और उनके आवास (घर) की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस जगह को कम्युनिटी रिज़र्व घोषित कर सकती है।
संरक्षण के ज़रूरी हिस्से	पहाड़, जंगल, समंदर, पौधे, जानवर और उनके घर (आवास) की रक्षा करना	पौधों, जानवरों और सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं की रक्षा करना

	संरक्षण रिज़र्व	समुदाय रिज़र्व
किस किस्म की सुरक्षा का पालन किया जाता है	संरक्षण के नियमों को बनाए रखना	जब तक ज़मीन के इस्तेमाल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तब तक पाबंदियाँ कम ही रहती हैं।
अधिकारी कौन है?	मुख्य वन्यजीव वार्डन, सलाहकार समिति, संरक्षण प्रबंधन समिति, राज्य सरकार	मुख्य वन्यजीव वार्डन, सलाहकार समिति, सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति, राज्य सरकार
पाबंदी	सैंक्चुरीज़ में आग लगाना, नुकसान पहुंचाना और एक्ट के चैप्टर IV में बताए गए अन्य मामूली अपराधों के अलावा कोई खास पाबंदी नहीं है।	ज़मीन के इस्तेमाल में कोई बदलाव केवल तब किया जा सकता है जब प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्ताव पास किया जाए और बाद में उसे राज्य सरकार की मंज़ूरी मिल जाए (धारा 36(सी)(3))।
पालतू जानवरों को घास चराने ले जाना	अनुमति है	अनुमति है
मानवीय गतिविधि	वाहा रहने वाले लोग जंगल और जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।	वाहा रहने वाले लोग जंगल और जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 में दिए गए हक़

कौन ये हक़ मांग सकता है?

1. **धारा 2(ख)** के उतरगत, जंगल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति - मतलब ऐसे सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से जंगल या वन ज़मीनों में रहते हैं और अपने काम और जीवन के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के पशुपालक समुदाय भी शामिल हैं।

2. **धारा 2(ओ)** के उतरगत, अन्य जंगल निवासी - मतलब कोई भी सदस्य या समुदाय जो कम से कम तीन पीढ़ियों से, यानि, 13 दिसंबर 2005 से पहले, मुख्य रूप से जंगल या वन ज़मीनों में रहते है और अपने काम व जीवन के लिए जंगल पर निर्भर रहते है।

व्याख्या: इस धारा में, 'पीढ़ी' का मतलब 25 साल का समय होता है।

कानून की किस धारा में आदिवासी लोगो के हक़ को मान्यता देने और उन्हें सौंपने के बारे में बताया गया है?

धारा 3 में आदिवासी लोगो के हक़ के बारे में बताया गया है। इसमें ज़मीन, पानी और जंगल के संसाधनों के हक़ शामिल हैं। इससे आदिवासी लोगो की ज़मीन और जीविका सुरक्षित रहती है।

वन अधिकार अधिनियम की ज़रुरत क्यों है?

धारा 3

इस कानून में कई तरह के वन हक़ दिए गए हैं। जैसे की -

1. आदिवासी व्यक्ति और समुदाय का हंगले की ज़मीन पर घर बनाकर रहने का और खेती करने का हक़।

2. निस्तार जैसे सामुदायिक हक़ और वन भूमि पर पट्टों को मालिकाना हक़ या वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के हक़।

3. अन्य हक़ों में ये भी आते हैं – पानी के लिए जगह का इस्तेमाल, जानवरों को चराने की जगह, बंजारे लोगों के लिए मौसम के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल, और जंगल से छोटे-छोटे चीज़ें लेने का हक़।

4. क़ानून यह भी मानता है कि जो समुदाय जंगल और उसके संसाधनों की पीढ़ियों से ख्याल रखता आया है, उन्हें जंगल की सुरक्षा और संरक्षण का हक़ है, और उन्हें वहां की जैव विविधता और पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करने की भी अनुमति है।

धारा 3(2) वन (संरक्षण) कानून में एक खास छूट है - इसमें थोड़ी बहुत जंगल की ज़मीन का इस्तेमाल आदिवासी लोगों के लिए सुविधाएं बनाने में करने की अनुमति दी गयी है - जैसे स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पानी की नहरें, सामुदायिक केंद्र वगैरह बनाना।

धारा 4

यह धारा उन अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत जंगल में रहने वाले समुदायों (आदिवासी समुदाय) को जंगल के हक़ देती है, जो 13 दिसंबर 2005 से पहले जंगल में रहते थे, और इन हक़ों को आधिकारिक व कानूनी तौर पर मान्यता मिली है।

नेशनल पार्क और सैंक्चुरी जैसे खास वन्यजीव इलाकों में ये हक़ बदले या हटाए जा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब सरकार नीचे बताए गए नियम और सुरक्षा का पालन करे।

1. समुदाय के अधिकारों की मान्यता और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार की एजेंसियों का कहना है कि अधिकार धारकों की मौजूदगी से वहाँ की प्रजातियों और उनके आवास को नुकसान हो सकता है। सरकार का मानना है कि जंगल के पशु-पक्षी और समुदाय का साथ रहना सुरक्षित नहीं है।

2. प्रभावित समुदायों की रोज़ी-रोटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के कानूनों व नीतियों के हिसाब से रहने की जगह और रोज़गार की सुविधाएँ दी जाएँगी, और ग्राम सभाओं से साफ़ लिखित सहमति ली जाएगी। जब तक नई ज़मीन व सुविधाएँ पूरी तरह उपलब्ध न हों, तब तक पुनर्वास शुरू नहीं होगा।

इस कानून में गारंटी है कि जब तक मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी समुदाय को मनमाने तरीके से जंगल से बाहर नहीं निकाला जा सकता।

वन अधिकार अधिनियम के तहत 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' और 'प्रतिपूरक वनीकरण' जैसी प्रक्रियात्मक बाधाओं से छूट दी जाती है।

धारा 5

यह कानून वन अधिकार रखने वालों, गाँव की सभा और गाँव की संस्थाओं को ताकत देता है कि वे जंगल, जानवरों, पानी और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा कर सकें। साथ ही, उन्हें अधिकार देता है कि उनका और गाँव का रहन-सहन उनकी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुँचाने वाली कार्य की सुरक्षा करे, और सामुदायिक जंगल के नियमों का पालन हो

धारा 6

ग्राम सभा इस कानून को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है। वे लाभार्थियों को चुनती हैं, दावे जांचती हैं और वन अधिकारों से जुड़े फैसले लेती हैं। इससे स्थानीय शासन मजबूत होता है और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

अगर सक्षम अधिकारी कोई फैसला लेते हैं और उस पर किसी को आपत्ति है, तो कानून में अपील का रास्ता भी है, ताकि विवाद के मामले में लोग और समुदाय मदद ले सकें।

टाइगर रिजर्व

टाइगर रिज़र्व उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ बाघ अच्छे-खासे संख्या में हों। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू किया गया था। वन्यजीव कानून और समय-समय पर बने नियमों के अनुसार टाइगर रिज़र्व की खास बातें ये हैं

1. नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन ऑथॉरिटी (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

टाइगर रिज़र्व घोषित करने के लिए बाघों की कोई खास संख्या तय नहीं है। टाइगर रिज़र्व घोषित करने के लिए राज्य सरकारें सुझाव दे सकती हैं और नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन ऑथॉरिटी इसे मंज़ूरी देती है (धारा 38L के तहत)।

बाघ संरक्षण का मुख्य हिस्सा हैं, और बाघ के जिवित रहने के लिए अन्य वनस्पति और जीव-जंतु भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह प्राधिकरण सालाना योजनाएँ बनाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के लागू होने की निगरानी करता है, फंड्स का ऑडिट करता है और इसी तरह के काम करता है।

2. टाइगर रिज़र्व की घोषणा

धारा 38-V के अनुसार, राज्य सरकार टाइगर कंज़र्वेशन ऑथॉरिटी की सिफारिश पर किसी इलाके को टाइगर रिज़र्व घोषित करती है। राज्य सरकार एक बाघ संरक्षण योजना तैयार करती है और राष्ट्रीय उद्यानों और सैंक्चुअरी के एक मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ निवास क्षेत्र और एक बफर/परिधीय क्षेत्र को अधिसूचित करती है।

3. दावे (Claims) की प्रक्रिया

जो पहले से दावे किए गए हैं, उन्हें उसी तरह निपटाया जाएगा जैसे अभयारण्य और नेशनल पार्क के मामले में किया जाता है, यानी धारा 18, 27, 30, 32 और 33 के अनुसार।

4. अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के अधिकार

सिर्फ आपसी सहमति और स्वेच्छा से होने वाले स्थानांतरण को छोड़कर, किसी भी अनुसूचित जनजाति या वनवासी के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। अगर किसी कारण से उनके अधिकार प्रभावित होने हैं, तो ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:

A. सबसे पहले वन अधिकारों की पहचान और मान्यता की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

B. राज्य की एजेंसियों को जनजाति और वनवासियों की राय लेकर, और पर्यावरण व समाजशास्त्र के विशेषज्ञ से सलाह लेकर साबित करना होगा कि उनकी मौजूदगी या कामकाज से बाघों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

C. राज्य सरकार को यह साबित करना होगा किसमुदाय और पशु-पक्षियों का साथ-साथ रहना या कोई और उचित विकल्प संभव नहीं है।

D. नई जगह बसाने या मदद के विकल्प को राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

E. ग्राम सभा या प्रभावित लोगों से उनकी साफ़ और लिखित सहमति ली जानी चाहिए।

F. नए पुनर्वास स्थल पर ज़मीन और सभी ज़रूरी सुविधाएँ पहले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5. गाँव के स्वेच्छा से स्थान बदलने के नियम (मुख्य/संवेदनशील इलाकों में)

A. बाघों के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र तय किए जाते हैं जहाँ इंसान और बाघ साथ-साथ नहीं रह सकते। इन्हें मुख्य या संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है।

B. बफ़र ज़ोन यानी आसपास के इलाके, जहाँ इंसान और बाघ दोनों रह सकते हैं, उसकी सीमा ग्राम सभा से सलाह लेकर तय की जाती है।

C. अगर गाँव वालों के रहने - घर को खाली करवाना है तो यह सिर्फ उन्हीं मुख्य/संवेदनशील बाघ इलाकों से होगा।

D. प्रोजेक्ट टाइगर की योजना में ऐसे गाँवों को दो विकल्प दिए जाते हैं:

a. 10 लाख रुपये नकद, ताकि वे अपनी मर्ज़ी से नई जगह पर बस सकें।

b. या फिर सरकार की मदद से पुनर्वास (नई जगह बसाना)।

E. सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी तरह स्वेच्छा से होगा। यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं — सिर्फ़ तब बदलाव होगा जब लोग खुदse तैयार हों।

6. कोर बनाम बफर जोन

टाइगर रिज़र्व में तीन तरह के ज़ोन बनाए जाते हैं – कोर ज़ोन, बफ़र ज़ोन और ट्रांज़िशन/मैनीपुलेशन ज़ोन। इन ज़ोन का मकसद जंगल और उसके पूरे तंत्र को सही तरीके से संभालना और सुरक्षित करना है, ताकि बाघ आराम से और सुरक्षित रह सकें।

	कोर जोन	**बफर जोन**
ब्योरा	ये वो जंगल है जहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, और यह आसपास के पर्यावरण को संभाले रखने में मदद करता है।	इस हिस्से में थोड़े-बहुत जंगली जानवर होते हैं और साथ ही गाँव भी बसे होते हैं।
मानव बस्तियाँ	इस ज़ोन में कोई गाँव या बस्ती नहीं होती। कुछ गतिविधियाँ सिर्फ़ विशेष अनुमति या लाइसेंस के साथ ही की जा सकती हैं।	परंपरागत बस्तियाँ और प्रबंधन मिलकर, पारंपरिक तरीकों से, जंगल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं।

	कोर जोन	बफर जोन
टूरिज्म	टूरिज्म केवल नियंत्रित तरीके से ही अनुमति दी जाएगी। सफारी और जंगली जानवरों को देखने की गतिविधियाँ सिर्फ तय समय पर ही हो सकती हैं। ये गतिविधियाँ हमेशा उस लाइसेंसधारी के साथ होंगी जिसने वन विभाग से अनुमति ली हो।	टूरिज्म के लिए बने विश्राम घर (Tourist rest houses) केवल अधिकार या इस्तेमाल के लिए दी गई ज़मीन पर ही हो सकते हैं। यह ज़ोन टाइगर रिज़र्व में पर्यटन गतिविधियों का मुख्य केंद्र होगा।
शिकार / मछली पकड़ना	किसी भी तरह का अवैध शिकार/हंटिंग पूरी तरह मनाई / रोक है।	कुछ इलाकों में पारंपरिक शिकार की गतिविधियाँ Schedule IV जानवरों के लिए कानूनी मान्यता मिलने पर ही हो सकती हैं (FRA, 2006)। Schedule 1 और 2 में शामिल संरक्षित जानवरों का शिकार पूरी तरह मना है।

	कोर जोन	बफर जोन
लघु वन उत्पाद (Minor Forest Produce - MFP)	मनाई / रोक है।	अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासी समुदायों के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुमति है।
पशुपालन और चराई (Domestication/ Livestock/ Grazing)	मनाई / रोक है।	चराई केवल उन ज़मीनों पर ही हो सकती है जो इसके लिए मैनेजमेंट प्लान में तय की गई हों।

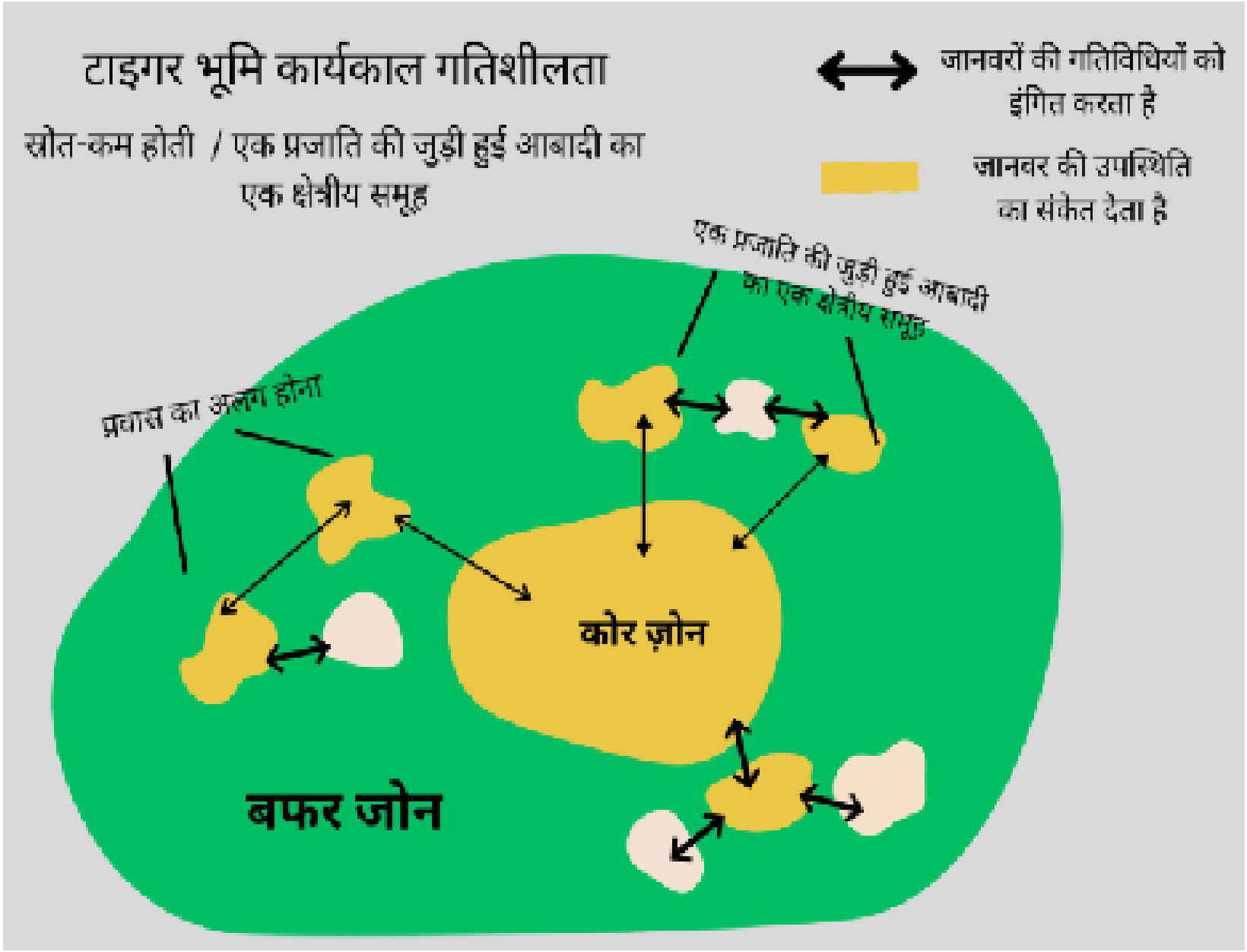
टाइगर भूमि कार्यकाल गतिशीलता
स्रोत-कम होती / एक प्रजाति की जुड़ी हुई आबादी का एक क्षेत्रीय समूह
जानवरों की गतिविधियों को इंगित करता है
जानवर की उपस्थिति का संकेत देता है
एक प्रजाति की जुड़ी हुई आबादी का एक क्षेत्रीय समूह
प्रवास का अलग होना
कोर ज़ोन
बफर जोन

अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व में बदलने की जांच सूची (Checklist)

सूचना (Notification)	1. क्या गाँव को वन विभाग या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण ने टाइगर रिज़र्व बनने की सूचना दी है? 2. सूचना देने से पहले क्या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को बुलाकर प्रस्तावित टाइगर रिज़र्व पर चर्चा हुई थी?
अधिकारों का निपटान (Settlement of Rights)	1. क्या गाँव को सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights - CFR) दिए गए हैं? 2. क्या गाँव ने CFR के लिए दावा किया है? 3. कितने घरानों को व्यक्तिगत दावा मिला है? 4. क्या ग्राम सभाओं ने पारंपरिक उपयोग वाली निस्तार/ सामुदायिक वन ज़मीन का नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू की है?

सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights)	1.क्या गाँव के पास अपने CFR क्षेत्र का नक्शा है? 2. निस्तार (Nistar) संग्रह के लिए कौन-कौन से वन हिस्से उपयोग में हैं? 3. क्या कोई पारंपरिक सीमा है? 4. सीमाओं की पहचान कैसे होती है? 5. कोई अन्य चिन्ह या धार्मिक निशान हैं?
ग्राम सभा (Gram Sabha)	1. ग्राम सभाएँ कितनी बार होती हैं? 2. ग्राम सभा में कौन-कौन से मुद्दे चर्चा में आते हैं? 3. क्या गाँव ने वन अधिकार समिति (Forest Rights Committee) का चुनाव किया है? 4. क्या अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व बनाने का मुद्दा ग्राम सभा में चर्चा में आया है?
भूमि अधिकार (Land Rights – individual survey)	1. गाँव के आसपास कितनी ज़मीन खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है? 2. कितने घराने बिना ज़मीन के हैं या खेती नहीं कर रहे? 3. पिछले कुछ वर्षों में कितने घराने गाँव छोड़कर गए हैं?

पुनर्वास (Rehabilitation)	1. नई सीमा के अनुसार कितने गाँव मुख्य क्षेत्र (Core Area) में आते हैं? 2. ग्राम सभा की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं? 3. कौन लोग स्थानांतरण के पक्ष में हैं और कौन नहीं? (व्यक्तिगत सर्वे/मतदान)
नोट	1. यह चेकलिस्ट यह साबित करने में मदद कर सकती है कि अधिकारों का निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है। 2. NTCA के दिशानिर्देश और अन्य न्यायिक फैसले इस तर्क का समर्थन करते हैं। 3. अधिकारों के Settlement के बिना किसी भी प्रकार का अनैच्छिक (involuntary) स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

नोट्स

PART III
ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर मौलिक अधिकारों तक पहुँच और उनके प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, हमारा काम पहचान आधारित भेदभाव और हिंसा पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि व्यक्तिगत हिंसा और भेदभाव की सभी घटनाएं समाज की संरचनात्मक और कार्यात्मक वास्तिवक्ताओं में निहित है और जब व्यवस्थागत उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्ति / समुदाय बदलाव की अगुआई करते हैं तो संविधान परिवर्तनकारी न्याय का स्थल बन सकता है।

हम ज़मीनी स्तर के विचार क साथ एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं जहाँ कार्यवाही अनुसन्धान को सूचित करती है और अनुसन्धान कार्यवाही को सूचित करता है। हम कानूनी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और वकालत के माध्यम से न्याय, सम्मान और प्रणालीगत जवाबदेही कायम रखने के उनके प्रयास में समुदाय आधारित संगठनों के साथ-साथ प्रणालीगत और पहचान आधारित हिंसा के पीड़ितों के साथ मिलकर काम करते हैं।

यह पुस्तिका कई संगठनों के काम पर आधारित है, जिन्होंने पिछले कई दशकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन पर कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है। हम विशेष रूप से नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR), अल्टरनेटिव लॉ फोरम (ALF) और सिटीजन्स विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी (CVMC) को धन्यवाद देते हैं, जिनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री और अन्य काम ने हमें इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

पार्ट III के कार्यालय नई दिल्ली और पटना में हैं। हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.part-three.org पर जाएं।